भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 599

बुधवार, दिनांक 03 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

पीएम-एसजीएमबीवाई के अंतर्गत डिस्कॉम को राजसहायता

599. श्रीमती रुचि वीरा:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों को सीधे प्रतिपूर्ति करने के बजाय डिस्कॉम के माध्यम से राज्य सरकारों को सब्सिडी देने का है, ताकि उपभोक्ता परिसरों में रूफटॉप सौर संयंत्रों की स्थापना को सुगम बनाया जा सके और सौर ऊर्जा का व्यापक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके;

(ख) यदि हाँ, तो डिस्कॉम के ज़रिए सब्सिडी बांटने के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और इसे लागू करने की समय-सीमा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश जैसे सौर-समृद्ध राज्यों में पीएम-एसजीएमबीवाई के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): वर्तमान में पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) के तहत आवासीय उपभोक्ताओं के परिसरों में रूफटॉप सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को सब्सिडी देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश जैसे सौर ऊर्जा संपन्न राज्यों सहित पूरे देश में योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण से लेकर आवासीय उपभोक्ता के बैंक खाते में सीधे सब्सिडी के वितरण तक की ऑनलाइन प्रक्रिया।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों से रेपो दर +50 bps अर्थात वर्तमान के लिए 6% प्रतिवर्ष पर 10 वर्षों की समयावधि के लिए संपार्श्विक मुक्त (कोलेट्रल फ्री) ऋण की उपलब्धता।
- तकनीकी व्यवहार्यता आवश्यकता को समाप्त करके और 10 किलोवाट तक स्वचालित भार वृद्धि शुरू करके विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

- रेस्को/यूटिलिटी आधारित एग्रीगेशन (यूएलए) मॉडल शामिल किए गए हैं।
- नेट मीटरिंग करार को राष्ट्रीय पोर्टल में आवेदन का हिस्सा बनाया गया है।
- पर्याप्त और योग्य वेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वेंडरों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
- कुशल जनशक्ति (मैनपावर) तैयार करने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
- देश भर में प्रमुख समाचार पत्रों में प्रिंट विज्ञापन, टीवी विज्ञापन अभियान, क्षेत्रीय चैनलों सहित एफएम स्टेशनों पर रेडियो अभियान आदि जैसे जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से योजना के बारे में जागरूकता पैदा की जा रही है।
- राज्यों/डिस्कॉमों सहित विभिन्न स्तरों पर योजना की प्रगति की नियमित निगरानी की जा रही है।
- क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
- शिकायतों के समय पर समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की गई है। टेलीफोन नंबर 15555 वाला एक कॉल सेंटर 12 भाषाओं में कार्यरत है।

****